

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 20/2019

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

रामेश्वरलाल पुत्र छोगाराम जाति
माली निवासी अम्बावाड़ी तहसील
शिव जिला बाड़मेर

1. सांवलाराम पुत्र अर्जुनराम जाति
माली निवासी अम्बावाड़ी
तहसील शिव जिला बाड़मेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत शिव
तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज
अधिनियम, 1994 विरुद्ध प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.09.2004
जिसके तहत अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत शिव द्वारा
विक्रय विलेख दिनांक 05.11.2004 जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 23/2019

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

रामेश्वरलाल पुत्र छोगाराम जाति
माली निवासी अम्बावाड़ी तहसील
शिव जिला बाड़मेर

1. कलाराम पुत्र अर्जुनराम जाति
माली निवासी अम्बावाड़ी
तहसील शिव जिला बाड़मेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत शिव
तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज
अधिनियम, 1994 विरुद्ध प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.09.2004
जिसके तहत अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत शिव द्वारा
विक्रय विलेख दिनांक 05.11.2004 जारी किया गया।



kon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :- उक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना-पत्रों मे-

1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 21.03.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना-पत्रों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से दोनो ही निगरानी प्रार्थना-पत्रों का एक संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम अम्बावाड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 05.11.2004 जारी किये गये। इन पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त दो अलग-अलग निगरानी प्रार्थना इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत शिव का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं उसके पुत्रों के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड ग्राम अम्बावाड़ी की आबादी भूमि में आये हुए हैं। ग्राम पंचायत शिव द्वारा आबादी भूमि में से भूखण्ड बनाकर प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.09.2004 के द्वारा विक्रय विलेख दिनांक



05.11.2004 को 90 गुणा 90 फीट कुल 8100 वर्गफुट अर्थात् 900 वर्गगज के अप्रार्थीगण सं. 01 के पक्ष में जारी किये गये हैं। पंचायतीराज नियम 157 के तहत अप्रार्थीगण का मौके पर कोई निर्मित मकान नहीं हैं और न ही कोई कब्जा पट्टा जारी करते समय था। इसके अलावा उक्त नियम के तहत 300 वर्गगज से अधिक भूखण्ड के क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफल के तहत 100/- और 200/- वसूल कर पट्टा जारी करने का नियम है, जबकि तथाकथित पट्टे 900 वर्गगज के हैं जो नियमों के उल्लंघन में जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना-पत्रों में आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत नियमों की कोई पालना नहीं की है। ग्राम पंचायत को द्वारा मौका निरीक्षण हेतु मौका कमेटी का गठन करना बताया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। उक्त विवादित भूखण्डों पर चारों तरफ तारबन्दी की हुई है तथा चीणे रोपी हुई है, सोलिंग के दो ट्रेक्टर टोली पत्थर डाले हुए हैं, पुराने पिण्डारे बने हुए है, गायों व बकरियों के पुराने बाड़े बने हुए है। ऐसी स्थिति में मौके पर निगरानीकर्ता के कब्जे को अनदेखा करते हुए पंचायत नियमों के विपरित जाकर आलौच्य पट्टा विलेख जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेखों के अन्तर्गत भूमि का सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय नहीं कर प्राइवेट बातचीत द्वारा विक्रय करने का कोई विशेष कारण नहीं दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा गठित निरीक्षण कमेटी द्वारा नियम 146(3) में वर्णित विषयों पर अपनी कोई राय नहीं दी है। ग्राम पंचायत द्वारा प्राइवेट बातचीत द्वारा विक्रय तब ही कर सकती है जब किसी व्यक्ति का भूखण्ड पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हों और नीलामी द्वारा उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त तथाकथित फर्जी पट्टे एक नियम विरुद्ध तैयार किये गये हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह दोनो



ही निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किये गये आलौच्य विक्रय विलेख दिनांक 05.11.2004 को निरस्त किये जावें।

5. अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा जिस भूखण्ड के बारे कथन किया है उक्त भूखण्ड निगरानीकर्ता रामेश्वरलाल के नहीं हैं तथा न ही उसके निवास हेतु काम में लिये जा रहे हैं। उक्त भूखण्ड के पूर्व में गली, पश्चिम में आम्बाराम का खेत, उत्तर में अप्रार्थी कलाराम का भूखण्ड एवं दक्षिण में अर्जुनराम का भूखण्ड आया हुआ है। निगरानी अधीन विवादित भूखण्ड अप्रार्थीगण सांवलाराम व कलाराम के स्वामित्व के पैतृक परिसर हैं जिस पर अप्रार्थीगण के पिता के समय से कच्चे मकान बने हुए हैं। अप्रार्थीगण के उक्त भूखण्डों पर स्थित मकान वर्ष 2006 की बाढ़ में बह जाने पर राज्य सरकार की ओर से 12000/- रुपये आर्थिक सहायता राशि मुआवजे के रूप में दी गई थी। वर्तमान में विवादित भूखण्डों पर अप्रार्थी सांवलाराम व कलाराम के कच्चे-पक्के निर्माण एवं कब्जा है, जिसके लिये ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए आलौच्य पट्टा विलेख विधिसम्मत जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया है जिसने मौका का निरीक्षण कर पडौसियों के बयान लिये गये हैं तथा आज भी पडौसियों के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 200/- शुल्क लेकर पुराने गृहों का नियमितीकरण किया गया है जिसके लिये पत्रावली के अनुमोदन की विधिक रूप से आवश्यकता नहीं हैं। निगरानीकर्ता एक झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने अप्रार्थीगण के विरुद्ध इसी भूमि बाबत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना शिव में प्रस्तुत की थी जिसको झूठा मानते हुए पुलिस ने एफआर दे दी है। अप्रार्थीगण का विवादित भूखण्डों पर 50 वर्षों से पुराना कब्जा होना प्रमाणित है जिसके लिये सम्पूर्ण जांच एवं प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम

पंचायत द्वारा आलौच्य विक्रय विलेख जारी किये गये हैं। इन विक्रय विलेखों के विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा गलत एवं बेबुनियाद उजरात करते हुए आधारहीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं जो मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाये जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत शिव द्वारा गलत व विधि विरुद्ध रूप से बिना किसी पुराने कब्जे के राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत पुराने कब्जे के विनियमितीकरण के गलत आधार पर आलौच्य दोनो पट्टे दिनांक 05.11.2004 को जारी किये गये हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अलग-अलग प्रस्तुत आवेदन-पत्रों जो मौका कमेटी गठित होकर मौका निरीक्षण कर प्रपत्र तैयार किया गया है उस पर तीन वार्ड पंचों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं जबकि इस प्रपत्र में केवल दो ही वार्ड पंच के हस्ताक्षर अंकित हैं तथा दोनो के नाम एवं वार्ड सं. भी अंकित नहीं हैं। इसके अलावा जो आलौच्य पट्टा विलेख जारी किये गये हैं उस पर ग्रामसेवक एवं क्रेता के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 के पक्ष में आलौच्य दोनो ही पट्टे 900 वर्गगज के प्लॉट के जारी किये गये हैं जबकि नियमितीकरण के तहत 300 वर्गगज से अधिक भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी नहीं किया जा सकता है तथा नियमितीकरण केवल आवासीय कब्जे की किया जा सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए आलौच्य पट्टे जारी किये गये हैं जबकि पत्रावली का अवलोकन करने से सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं साक्ष्य दस्तावेजों का अभाव पाया जाता है। जहां तक मयाद का प्रश्न है तो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने



Lu
जिला कलेक्टर
जापुर

में कोई मयाद निर्धारित नहीं हैं इसके बावजूद हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत की ओर से की गई कार्यवाही अनियमित एवं अपूर्णता के साथ-साथ विधि विरुद्ध होने से इसके विरुद्ध निगरानी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में मयाद बाधित नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार पुराने के कब्जे एवं आधिपत्य के साथ-साथ स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव में ग्राम पंचायत शिव द्वारा अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 20.09.2004 के अनुसरण में पत्रावली सं. 240/04 में अप्रार्थी सं. 1 सांवलाराम एवं पत्रावली सं. 230/04 में अप्रार्थी सं. 1 कलाराम के पक्ष में जो आलौच्य पट्टे दिनांक 05.11.2004 को जारी किये गये हैं वह निरस्त योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह दोनो ही निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत शिव द्वारा बैठक दिनांक 20.09.2004 में पारित प्रस्ताव सं. 1 के तहत लिये गये निर्णय के अनुसरण में पत्रावली सं. 240/04 में अप्रार्थी सं. 1 सांवलाराम एवं पत्रावली सं. 230/04 में अप्रार्थी सं. 1 कलाराम के पक्ष में जो आलौच्य पट्टे दिनांक 05.11.2004 जारी किये गये हैं, को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



ku
(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर